

अध्याय-1

“संशोधित”

पात्रता परीक्षा संबंधी नियम

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी:-

1. पद का विवरण- माध्यमिक शिक्षक
2. पद की श्रेणी- तृतीय (अराजपत्रित)
3. पदों की संभावित संख्या

स.क्र.	पदों का विवरण	पदों की संख्या (लगभग)
1.	माध्यमिक शिक्षक	5670

पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

4. पदों का वेतन

स.क्र.	पदों का विवरण	★ वेतन
1.	माध्यमिक शिक्षक	न्यूनतम वेतन रूपये 32800+महगांड़ भत्ता।

टीप:- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षित नियम, 2017 के अनुसार ।

5. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका

प्रोफेशनल एजामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।

6. परीक्षा केन्द्र

प्रोफेशनल एजामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल के निर्देशानुसार होगा।

7. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता

- (1) माध्यमिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी :-
- (अ) संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा

अथवा उसके समकक्ष

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एड)

अथवा
संबंधित विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड, तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि(बी.एड.)

अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ए/बी.एससी.बी.एड / बी.ए.एड / बी.एससी.एड.)

अथवा
संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

नोट:- आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

(ब) संस्कृत पाठ्यशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य / व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।

(2) “शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापन की तिथि होगी। अर्थात् उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची /उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा।”

8. पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक

(1) शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अंकों का प्रतिशत प्रवर्गवार निम्नलिखित अनुसार होगा :-

पदनाम (1)	अनु0जा0/अनु0ज0जा0/ पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन (2)	अन्य (3)
माध्यमिक शिक्षक	50 %	60 %

स्पष्टीकरण :-

(1) पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

रिक्त पद के विरुद्ध एक से अधिक इसी प्रवर्ग के आवेदक आवेदन करते हैं तो पात्रता परीक्षा में जिसके अंक अधिक हैं उस आवेदक का चयन किया जायेगा।

14. रिक्तियों का आकलन एवं चयन के मापदण्ड :-

(14.1) रिक्तियों का आकलन

माध्यमिक शिक्षक की रिक्तियों का आकलन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार करने के पश्चात कुल उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हैं। इन रिक्तियों में भी विभिन्न प्रवर्गों के लिये आरक्षण का प्रतिशत भर्ती नियम, 2018 के नियम 11 के उपनियम (6) एवं (7) के उपबंधों के अधीन रहेगा। परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(14.2) चयन का मापदण्ड :-

समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया राज्य सरकार के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

15. यात्रा व्यय का भुगतान

पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन/पिछड़ा वर्ग एवं किसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. अन्य बिन्दु

किसी भी प्रकार का वाद उद्भूत होने पर न्याय क्षेत्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर होगा।

05/10/18

प्रोफेशनल एजामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 2.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अहंता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अहंताओं का भलीभौति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक अपने आवेदन पत्र में एक से अधिक विषयों का विकल्प भर सकता हैं। जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र अनुसार परीक्षा शुल्क देय होगा।
- 2.2** (i) अध्याय-1 के बिंदु क्रमांक 7 (2) के नियमानुसार।
- (ii) अध्याय-1 के बिंदु क्रमांक-7(2) में विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापन की तिथि के पश्चात् किसी भी दिनांक को अहंतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख / संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश / चयन / नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।
- 2.3** परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-
- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।
- 2.4** परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित हैं।
- 2.5** लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी.ई.बी. के आदेश क्रमांक पी.ई.बी./प-1/3454/2018 भोपाल दिनांक 13/07/2018 के अनुसार लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ:-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ-पत्र सहित पी.ई.बी. कार्यालय को परीक्षा दिनांक से दस दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगी ताकि पी.ई.बी. स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तः-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से कम होना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि परीक्षार्थी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेण्डरी होना चाहिये।

(ii) अतिरिक्त समय हेतु शर्तः :-

यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय हेतु आवेदन करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर

होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पांडिट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

३०/१०/१४